



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-29/2023

दिनांक- 24 जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना - अहरौला

अवैध असलहा कारतूस व पिकअप वाहन के साथ 02 गिरफ्तार

दिनांक- 24.01.2023 को प्र०नि० योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन क्षेत्र फुलवरिया एक्सप्रेसवे के पास मौजूद थे कि सूचना मिली कि एक अशोक लीलैंड पी के बिना नंबर से दो व्यक्ति माहुल की ओर से फुलवरिया की तरफ आ रहे हैं उन दोनों के पास अवैध असलहा भी है वे दोनों व्यक्ति उक्त पीकेप जीप से चोरी के जानवर लादकर धंधा करते हैं। इस सूचना पर तत्काल ग्राम बरामदपुर पुलिया के पास पहुंचे और हमराह कर्मचारी गण को मकसद से अवगत कराते हुए माहुल की ओर से एक सफेद रंग की पिकप जीप आती हुई दिखाई दी जिसको को रोक लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम 1. राजू उर्फ नाटे पुत्र मोहित उम्र 27 वर्ष ग्राम वार्ड नं० 03 कस्बा माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ 2. करिया पुत्र धनमन उम्र 21 वर्ष ग्राम मोलनापुर थाना अहरौला आजमगढ़ हाल पता ग्राम तरकुलहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बताया उसके कब्ज से दो अदद कट्टा 315 बोर, दो - दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद पिकप बिना नम्बर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को को मा० न्याया० रिमांड हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता -

1. राजू उर्फ नाटे पुत्र मोहित उम्र 27 वर्ष ग्राम वार्ड नं० 03 कस्बा माहुल थाना अहरौला आजमगढ़
2. करिया पुत्र धनमन उम्र 21 वर्ष ग्राम मोलनापुर थाना अहरौला आजमगढ़ हाल पता ग्राम तरकुलहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग: मु०अ०सं० 17/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 18/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी- दो अदद कट्टा 315 बोर, दो - दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद पिकप बिना नम्बर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र०नि० श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह, उ०नि० श्री धनराज सिंह, का० ऋषिकेश यादव, का० विशाल सोनकर, म०का० प्रीति अवस्थी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

थाना- देवगांव

चोरी की घटना में संलिप्त वांछित अपराधी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 22.01.2023 को कस्बा लालगंज में चाय पान के दुकान पर उर्मिला चौरसिया व फौजदार पुत्र शिवनाथ दुकान पर मौजूद थे। रामदरस चौहान पुत्र स्व० सोहन चौहान निवासी सलेमपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ व अमरदेव गोढ़ पुत्र स्व० बीरबल गोढ़ निवासी अवति पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद- आजमगढ़ दुकान पर आये। उर्मिला चौरसिया से एक हजार रुपये व फौजदार एक हजार रुपये चुराकर जाने लगे। जब उर्मिला चौरसिया ने रोका तो उनको धक्का देकर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। जिसके सम्बन्ध में थाना देवगांव आजमगढ़ पर मु०अ०सं० 20/2023 धारा 382,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 24.01.2023 को उ०नि० देवेन्द्र नाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. रामदरस चौहान पुत्र स्व० सोहन चौहान निवासी सलेमपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ (जामा तलाशी से 300 रुपया बरामद) 2. अमरदेव गोढ़ पुत्र स्व० बीरबल गोढ़ निवासी अवति पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद- आजमगढ़ (जामा तलाशी में 270 रुपया बरामद) को रेतवां तिराहे के पास से समय 11.45 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।

3. पछुताछ का विवरण- अभियुक्तों ने बताया कि साहब दिनांक 22.01.2023 को कस्बा लालगंज में चाय पान के दुकान से एक औरत से 1000 रुपये तथा उसी दुकान से एक आदमी से 1000 रुपये चुराये थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- 20/2023 धारा 382,506,411 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण- चोरी गये रुपये (570 रुपये/-)

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रामदरस चौहान पुत्र स्व० सोहन चौहान निवासी सलेमपुर थाना कोतवाली आजमगढ़
2. अमरदेव गोढ़ पुत्र स्व० बीरबल गोढ़ निवासी अवति पहलवानपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दूबे चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़
2. हे0का0 अशोक सोनकर चौकी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़
3. का0 मेराज अली चौकी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 24.01.2023 उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त आजम पुत्र शाह आलम निवासी ग्राम- इस्लामपुरा थाना- मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समौधी तिराहे से एक तमंचा व 01 अदद कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 04.10 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त:-

आजम पुत्र शाह आलम निवासी ग्राम- इस्लामपुरा थाना- मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:-

एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद कारतूस .315 बोर ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 33/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 524/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 102/20224 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 74/2022 धारा 411/413/414 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 33/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 23.01.2023 को उ0नि0 कमल नयन दूबे मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अजय यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव उर्फ मुन्ना निवासी क्यामपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 25 वर्ष को एक तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ रेलवे सर्फुद्दीनपुर से समय करीब 22.50 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 42/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0- 42/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 154/21 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 02/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 379/411/414 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 163/21 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 270/21 धारा 34/395/412 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 283/2021 धारा 34/395/412 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 285/21 धारा 34/395/412 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 289/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 212/21 धारा 379/411 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
9. मु0अ0सं0 42/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी, आजमगढ़ ।

नाम पता अभियुक्त

अजय यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव उर्फ मुन्ना निवासी क्यामपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ ।

बरामदगी

1. एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 कमल नयन दूबे मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

गैग्रेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अभियुक्त रमाकान्त निषाद उर्फ कान्ता को उसके गिरोह के सदस्य रुदल निषाद आदि के साथ मिलकर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते समय चलती भट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/20 धारा 272, 273 IPC व 60, 60(2) एक्साइज एक्ट पंजीकृत किया गया। तथा अभियुक्तों के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट महोदय के अनुमोदन के पश्चात थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 482/22 धारा 3(1) युपी गैग्रेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी की विवरण - आज दिनांक 24.01.23 को थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा अभियुक्तों 1. रमाकान्त निषाद उर्फ कान्ता पुत्र निराहू निषाद निवासी बेइली खुर्द थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 2. रुदल निषाद पुत्र निराहू निषाद निवासी बेइली खुर्द थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को मुकदमा उपरोक्त के आधार भैरोदास मन्दिर के पास समय करीब 11.30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 482/2022 धारा 3(1) युपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रमाकान्त निषाद उर्फ कान्ता पुत्र निराहू निषाद सा0 बेइली खुर्द थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

क्रसं00	मुअ0सं00	धारा	थाना	जनपद
1	42/19	60, 72 आबकारी अधि0	बेलघाट	गोरखपुर
2	68/20	272, 273 भादवि व 60, 60(2) आबकारी अधि0	महाराजगंज	आजमगढ़
3.	482/22	3(1) युपी गैग्रेस्टर एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

अभियुक्त रुदल निषाद पुत्र निराहू निषाद सा0 बेइली खुर्द थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

क्रसं00	मुअ0सं00	धारा	थाना	जनपद
1	68/20	272, 273 भादवि व 60, 60(2) आबकारी अधि0	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	482/22	3(1) युपी गैग्रेस्टर एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. रमाकान्त निषाद उर्फ कान्ता पुत्र निराहू निषाद निवासी बेइली खुर्द थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
2. रुदल निषाद पुत्र निराहू निषाद निवासी बेइली खुर्द थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO कमलकान्त वर्मा मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज आजमगढ़

चोरी गये समान के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 17/01/2023 को वादी सदावृक्ष यादवs/o रामअवध यादव ग्राम कलीजपुर (वर्तमान प्रधान) द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया कि वादी के गाँव के लोगों द्वारा ग्राम दिलमनपुर के प्राथमिक विद्यालय के छत पर रखा 500 लीटर की सफेद रंग की टंकी व सामुदायिक सौचालय पर लगा 1000 हजार लीटर की सफेद रंग की टंकी को रात में चोरी कर ले जाया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 35/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 23.01.2023 को निरी० विकास चन्द्र पाण्डेय , उ०नि० योगेन्द्र कुमार पाल , उ०नि० संतोष कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त 1. अभियुक्त शशी भारती पुत्र राजेन्द्र राम ग्राम डीहा थाना जहानगंज आजमगढ़ 2. अभियुक्त संतोष यादव पुत्र स्व० रामनरेश यादव ग्राम डीहा थाना जहानगंज आजमगढ़ 3. अभियुक्त राजू कुमार पुत्र चन्द्रधारी राम ग्राम दीलमनपुर थाना जहानगंज आजमगढ़ को दीक्षा हास्पिटल के पास डीहा से समय 23.10 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु०अ०स० 35/23 धारा 379 भादवि थाना जहानगंज आजमगढ़

बरामदगी-

1. एक अदद पानी टंकी 500 ली०, एक अदद पानी टंकी 1000 ली० सम्बन्धित मु०अ०स० 35/23 धारा 379 भादवि
2. पंखा एक अदद स्टेपलाईजर, एक अदद कुलर, मोटर,
3. टी सेट एक अदद (सम्बन्धित मु०अ०स० 497/22 धारा 380 भादवि) व
4. सरसो तेल -200 ग्राम का 05 सीसी अरहर दाल करीब 02 किग्रा० रिन साबून छोटा 07 अदद लाइफ ब्वाय छोटा 10 अदद कैस गुटखा 50 पुड़िया व नगद रूपया 250 (सम्बन्धित मु०अ०स० 36/23 धारा 380/411 भादवि)

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अभियुक्त शशी भारती पुत्र राजेन्द्र राम ग्राम डीहा थाना जहानगंज आजमगढ़
2. अभियुक्त संतोष यादव पुत्र स्व० रामनरेश यादव ग्राम डीहा थाना जहानगंज आजमगढ़
3. अभियुक्त राजू कुमार पुत्र चन्द्रधारी राम ग्राम दीलमनपुर थाना जहानगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०स० 36/23 धारा 380/411 भादवि
2. मु०अ०स० 497/22 धारा 380/411/34 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1- प्रभारी नि० विनय कुमार सिंह , नि० विकास चन्द्र पाण्डेय, उ०नि० योगेन्द्र कुमार व उ०नि० संतोष कुमार मय हमराह थाना जहानगंज आजमगढ़

थाना -जीयनपुर

मारपीट में बाँधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 11/01/2023 को वादी लक्ष्मण यादव पुत्र रमायन यादव निवासी ग्राम चंगईपुर (जोलहापुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा पुवाल जलाने की बात को लेकर वादी के पिता को मां बहन की गाली देते लाठी डण्डा से मारा-पीटा गया व जान से मारने की धमकी दी गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 34/2023 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा धारा 308 भादवि की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक- 24/01/2023 को उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त विशाल यादव पुत्र योगेन्द्र यादव नि०चंगईपुर (जोलहापुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को राईमिल तिराहा चंगईपुर के पास से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु०अ०स० 34/2023 धारा 323,504,506,308 भादवि० थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

विशाल यादव पुत्र योगेन्द्र यादव नि०चंगईपुर (जोलहापुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़ ।

थाना बिलरियागंज

चोरी की घटना का अनावरण, चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13.01.2023 को वादी महफुज पुत्र स्व0 मुकतार अहमद सा0 छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि किसी द्वारा उसके टय्वेल पर लगे मोटर पम्प को चुरा ले जाया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27/2023 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 24.01.2023 को थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1.जयसिंह राव पुत्र जितेन्द्र कुमार राव निवासी ग्राम लक्षिरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. आशुतोष तिवारी पुत्र सुशील तिवारी निवासी ग्राम विजयीपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को मोलनापुर पुलिया से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 3860/- रुपये व आभूषण - कमर बन्द,सुपारी,मीना,पायल, पान का पत्ता, रिंग नग वाली, नथिया, कान का टप्स, कील टुटा हुआ (पीले धातु) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.जयसिंह राव पुत्र जितेन्द्र कुमार राव निवासी ग्राम लक्षिरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।
- 2.आशुतोष तिवारी पुत्र सुशील तिवारी निवासी ग्राम विजयीपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0 27/2023 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2.मु0अ0सं0 45/2023 धारा 411/413/414 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 3.मु0अ0सं0 26/2023 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी -

- 1.मसरूका -आभूषण - कमर बन्द,सुपारी,मीना,पायल, पान का पत्ता, रिंग नग वाली, नथिया, कान का टप्स, कील टुटा हुआ (पीले धातु)
2. 3860 रूपया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस लाईन परेड ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास, गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का होगा आयोजन

आज दिनांक 24.01.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के नेतृत्व में पुलिस लाईन्स आजमगढ़ में 74वें गणतंत्र दिवस का पूर्वाभ्यास किया गया। परेड में कुल 08 टोलियां शामिल हुयी।

प्रथम परेड कमाण्डर शक्ति मोहन अवस्थी (स0पु0अ0), द्वितीय परेड कमाण्डर गौरव शर्मा (क्षेत्राधाकीर नगर), तृतीय परेड कमाण्डर एस0आई0ए0पी0 विजय कुमार सिंह हैं।

इन टोलियों में पु0का0, नागरिक पुलिस, सीईआर, ईईआर, महिला पीएसी, होमगार्ड्स, सीटीएस के कर्मियों ने प्रतिभाग किया है। पुलिस विभाग के अन्य दस्ता जैसे मोटर साईकिल स्क्वाड, वायरलेस, फिल्ड यूनिट, डाग स्क्वाड, डायल 112 मोटर साइकिल, डायल 112 इनोवा, डायल 112 बोलेरो, इगल मोबाइल मो0 साइकिल एन्टी रोमियो, सर्विलांस, क्यूआरटी दस्ता/स्वाट टीम (वज्र), कैम्पो फ्लाइज वाहन (आधुनिक दस्ता) फायर सर्विस सहित अन्य दस्ता द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

थाना- मेंहनगर

➡ दिनांक-26.03.2012 को वादी राजेन्द्र चौहान पुत्र लुटावन चौहान निवासी युसुफपुर खानपुर, थाना फूलपुर कोतवाली आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर तहरीर दिया कि वादी की पुत्री की शादी विपक्षी अजय चौहान पुत्र श्यामबली चौहान निवासी करनेहुवां, थाना मेंहनगर आजमगढ़ के साथ वर्ष 2007-08 में की थी। सूचना मिली कि वादी की पुत्री नीतू व नतीनी डोली की गला दबाकर हत्या कर दी गयी। वादी का दामाद मानसिक रूप से विकसित रहता था जिसका पहले इलाज कराया जा चुका है।

➡ नामज अभियुक्त अजय चौहान उपरोक्त के विरूद्ध थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 129 सन् 2012 अंतर्गत धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त मुकदमें में 06 गवाह परिक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय चौहान पुत्र श्यामबली चौहान निवासी करनेहुवां, थाना मेंहनगर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

- 1- आज दिनांक- 24.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 324/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त इम्तियाज पुत्र मो0 सईद निवासी फैजुल्लापुर, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
- 2- आज दिनांक- 24.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 182/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 फैयाज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी चिवटही खुटहवापर, थाना मुबाकरपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
- 3- आज दिनांक- 24.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 298/22 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त आरजू पत्नी अबुसाद, निवासी जीयनपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।